

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली  
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.  
गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 19/2014

<p><b>सायल :-</b> सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली</p>	<p><b>बनाम</b></p>	<p><b>गैरसायल:-</b> मदनलाल उर्फ मदनगोपाल पुत्र रामचन्द्र गोद पुत्र गुमनाराम जाति कलाल निवासी चण्डावल, पुलिस थाना सोजतसिटी, जिला पाली</p>
---	--------------------	--

**इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(1)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975**

**उपस्थित :**

सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली  
गैरसायल की ओर से बाबुलाल मेवाडा अधिवक्ता

**:: निर्णय ::**

**दिनांक :- 20.03.2018**

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 20.03.2014 को गैरसायल श्री मदनलाल उर्फ मदनगोपाल पुत्र रामचन्द्र गोद पुत्र गुमनाराम जाति कलाल निवासी चण्डावल, पुलिस थाना सोजतसिटी, जिला पाली के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना सोजतसिटी का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके खिलाफ वर्ष 2003 से 2009 तक कुल 4 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। समस्त प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	थाना	मु.नं. /दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय
1	सोजतसिटी	177 / 22.07. 2003	16 / 54 आब. अधि.	पी0टी0 एसीजेएम कोर्ट सोजत
2	सोजतसिटी	302 / 12.10. 2008	16 / 54 आब. अधि.	पी0टी0 एसीजेएम कोर्ट सोजत
3	सोजतसिटी	136 / 23.04. 2009	16 / 54 आब. अधि.	सजा 13.01.2011 एसीजेएम कोर्ट सोजत
4	सोजतसिटी	390 / 12.10. 2009	16, 19 / 54 आब.अधि.	सजा 07.02.2012 एसीजेएम कोर्ट सोजत

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम मे दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल मदनलाल उर्फ मदनगोपाल पुत्र रामचन्द्र गोद पुत्र गुमनाराम जाति कलाल निवासी चण्डावल, पुलिस थाना सोजतसिटी, जिला पाली हथकड़ी शराब के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृत्ति में लिप्त है। जो आदतन हथकड़ी शराब बेचने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते हैं। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2 (ख)(1)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरुद्ध धारा 3 राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली

गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद होने पर गैरसायल के विरुद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गयी। बाद तामिल गैरसायल मय वकील उपस्थित हुए। गैरसायल ने उक्त परिवाद का कोई जवाब नहीं दिया तथा न ही कोई शहादत सूची प्रस्तुत की।

ए0पी0पी0 की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना सोजतसिटी का अव्वल दर्जे का बदमाश है, जिसके विरुद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरुद्ध सूचना देने में भी कतराते हैं, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अवैध शराब का धन्धा करता है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल अवैध शराब का धन्धा नहीं करता है तथा न ही किसी प्रकार से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। पुलिस द्वारा अपना टारगेट पूरा करने के उद्देश्य से गैरसायल के विरुद्ध प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो विधि विरुद्ध है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरुद्ध श्रीमान एसीजेएम कोर्ट सोजत द्वारा प्रकरण संख्या 8/2009 के निर्णय दिनांक 13.01.2011 के तहत आदेश पारित करते हुए धारा 19/54 राज आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध करते हुए 1000 रु के अर्थ दण्ड से एक वर्ष के लिए पाबंध अवधि तक परिशांति बनाये रखने एवं सदाचारी रहने एवे किसी अपराध की पुनरावृति नही करने हेतु पाबंध किया। इसी प्रकार श्रीमान एसीजेएम कोर्ट सोजत द्वारा प्रकरण संख्या 463/2009 में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2012 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम 1956 की धारा 19/54 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 1000 रूपये के अर्थ दण्ड से एक वर्ष के लिए पाबंध अवधि तक परिशांति बनाये रखने एवं सदाचारी रहने एवं किसी अपराध की पुनरावृति नही करने हेतु पाबन्द किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(2)(ख)(iii) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर गैरसायल मदनलाल उर्फ मदनगोपाल पुत्र रामचन्द्र गोद पुत्र गुमनाराम जाति कलाल निवासी चण्डावल, पुलिस थाना सोजतसिटी, जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत एक माह की अवधि के लिए पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना **गुडा एन्दला** जिला पाली के नियंत्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात् दिनांक 07.03.2018 से 30 दिन के लिये पुलिस थाना **गुडा एन्दला** जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात् 30 दिन में चार बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी **गुडा एन्दला** जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल

अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नहीं लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल मदनलाल उर्फ मदनगोपाल, इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रुपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना सोजतसिटी गैरसायल मदनलाल उर्फ मदनगोपाल को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथी को पुलिस थाना गुडा एन्दला जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी सोजत उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी सोजत सिटी अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी सोजतसिटी एवं थानाधिकारी गुडा एन्दला जिला पाली को भिजवाई जावे।



(भागीरथ बिश्नोई)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 20.03.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली